

2019 के आम चुनाव में महिलाओं की स्थिति: एक अवलोकन

डॉ उश्मान गणी

प्रारूप -समाज में महिलाओं की स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय रही है और उन्हें अपने हक के लिये संघर्ष करना पड़ा है। समाज का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव ही नहीं है। वर्तमान आलेख में महिलाओं की स्थिति एवम् उनके भारतीय राजनीति में भागीदारी का विश्लेषण किया गया है। राजनीति में महिलाओं की भूमिका बहुत व्यापक है, जो न सिर्फ मताधिकार और सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करने भर पर निर्भर करता है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना आदि में भागीदारी से संबंधित है।

बीज शब्द- राजनीति, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना, मताधिकार, लैंगिक असमानता।

राजनीति में महिलाओं की भूमिका बहुत व्यापक है, जो न सिर्फ मताधिकार और सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करने भर पर निर्भर करता है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक सक्रियता, राजनीतिक चेतना आदि में भागीदारी से संबंधित है। हालांकि भारत में महिलाएं मतदान में भाग लेती हैं, आज की स्थिति में नारी की सहज भूमिका अनिवार्य रूप से प्रत्येक दृष्टि से आवश्यक है। महिलाओं की स्थिति से किसी भी समाज की श्रेष्ठता तथा हीनता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। वर्तमान व्यवस्था में पारिस्थितिकी, विकास और लिंगभेद के मुद्दे चुनौतिपूर्ण हैं, समानता के आदर्श की बातें करने वाले लोग, राजनीतिक दल, लोकसभा, विधानसभा, ग्रामपंचायतों में महिलाओं को लेते ही नहीं, जो एक अत्यंत विचारणीय बिंदु है।

स्वतंत्रता भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक महिला पुरुष को समान अधिकार प्रदान किये गये। महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समकक्ष बनाने तथा उनको विकास के अवसर उपलब्ध करवाने के लिये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। संविधान में महिलाओं के लिये समानता एवम् उनके अधिकारों के लिये अनुच्छेद 14, 15, 16, 23, 39, 39क, 42 में विशेष प्रावधान किये गये हैं।

गाँधी जी के अनुसार “स्त्रियों को मताधिकार तो होना ही चाहिये, कानून के तहत समान दर्जा भी मलना चाहिये।” संवधान की धारा 15 के तहत -“स्त्री पुरुष के बीच कसी भी मामले में भेदभाव नहीं किया जायेगा।” इन सभी उपर लखत तथ्यों को देखते हुये यह कहा जा सकता है क नारी की स्थिति संवैधानिक रूप से अत्यंत ही दयनीय तो नहीं है , लेकन चंताजनक अवश्य है। संवधान के द्वारा महिलाओं को यद्यपि व भन्न संवैधानिक अधिकार प्रदान कये गये हैं तथा प वास्तवक स्थिति कुछ और ही परिदृश्य दृष्टिगोचर होता है। महिलाओं को सेवा प्रदान करने वाली सरकारी और गैर सरकारी संस्थायें तथा योजनायें या तो काम नहीं करती और यदि करती भी हैं तो उनकी कोई सुचारू रूपरेखा नहीं होती , जिससे महिला अधिकारों का हनन होता है। महिलाओं को उनके अधिकारों से भी वंचित किया जाता है , जैसे कानूनी सहायता लेने का अधिकार। लोकतंत्र एवम् महिला अधिकारिता राजनीतिक प्रक्रिया के विकास में एक अनिवार्य कदम है। इसका उद्देश्य महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लाना और उन्हें कसी भी प्रकार के प्रतिबंध और अलगाव से मुक्ति दिलाना है। महिलाओं की राजनीतिक अधिकार प्रदान कये जाने की परिकल्पना, उनके उत्थान के लये और लैंगिक असमानता एवम् भेदभाव उन्मूलन हेतु एक सशक्त एवम् अनिवार्य माध्यम के रूप में की गयी है। इसी के अनुरूप भारतीय महिलाओं को कुछ संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है।

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पुरुषों और महिलाओं को उनके लंग भेद के बावजूद समान शक्तियां और भूमिका देती है , जिसका प्रमाण देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी , पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल और वदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज , लोकसभा अध्यक्ष सुमत्रा महाजन , रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी , I&B मंत्री स्मृति ईरानी , कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी , वर्तमान राजस्थान की मुख्यमंत्री सुश्री वसुंधरा राजे संध्या , पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी , जम्मू और कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती के रूप में देखा जा सकता है । आधुनिक भारतीय राजनीति में प्रमुख और निर्णायक भूमिका निभायी रही है।

महिलाओं के लये राजनीतिक सुधार आर्थिक आत्मनिर्भरता , बेहतर स्वस्थ देखभाल और सुधार शिक्षा शामिल होना चाहिए। हमें एक स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था तक सत

करने की जरूरत है जो क वोट बैंक, पैसा और बाहुबल के गंदे खेल नहीं बल्कि एक बड़े संयुक्त परिवार के रूप में राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक सकारात्मकता लाएं। इस लिए वास्तव में निष्पक्ष राजनीतिक संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि राजनीति को दशकों से पल रही कुरीतियों से मुक्त किया जाए।

108 वें (2009) संवधान संशोधन में 50 % कर दिया गया है। जब कि राष्ट्र स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में महिला जन प्रतिनिधित्व 42 % ही है। यद्यपि सरकार की ओर से महिलाओं को कानूनी संरक्षण और अधिकार देने का जो दिखावा हो रहा है, वो तो मात्र महिलाओं को भ्रम करने का मात्र एक जरिया है। सच्चाई तो यह है कि आज भी महिलाओं को वे अधिकार प्राप्त नहीं हुये हैं, जिनकी वे सही मायने में अधिकारी हैं और यदि संघर्ष के बाद अधिकार मिल भी जाते हैं तो उनके प्रयोग हेतु वे स्वतंत्र नहीं हैं। उन्हें पहले की तरह अपनी वर्चस्वता दिखाने का मौका आज भी नहीं मिल पाया है। आज महिलायें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दासता से निकलकर स्वतंत्र जीवन जीने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। अतः यह आवश्यक है कि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी हो। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का आशय नीति निर्माण में भागीदारी से है। यह भागीदारी मतदाता से लेकर पंचायती राज, लोक सभा, राज्य सभा, संसद से हो सकती है। परन्तु वास्तविक रूप से महिलायें राजनीतिक क्षेत्र में अब तक वह मुकाम प्राप्त नहीं कर पायीं हैं, जितने आशा की गई थी। इस क्षेत्र में उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ हैं जैसे कि व भ्रम सामाजिक कुरीतियाँ, अशिक्षा, वृत्तीय समस्या, राजनीतिक अज्ञानता, पुरुष प्रधान समाज, मान सकता, पर्दा प्रथा आदि अनगन बाधाएँ हैं जिन्हें दूर करना परम आवश्यक हैं।

हमारी व्यवस्था में सर्वोच्च विधायी संस्थान हमारी संसद है जो पूरे देश की नीति का निर्धारण करती है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जब तक संसद में महिलाओं की समान भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जाता, अपने सशक्तीकरण के लिए औरतें सदैव पुरुषों की परमुखापेक्षी बनी रहने के लिए अभिशप्त होंगी। इस लहाज से देखें तो लोक सभा में महिला सांसदों की सहभागिता में स्वतंत्रता के बाद के समय से अब तक बहुत ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव नहीं आए हैं। संवधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी जिसमें महिला सदस्यों की

संख्या मात्र 15 थी। यह हिस्सेदारी मात्र 5% के करीब बैठती है। उस समय से लेकर अब तक महिलाओं की भागीदारी कभी भी 20% तक नहीं हो पाई है जो निम्न ल खत ता लका से स्पष्ट है:

लोक सभा क्रमांक	कालाव ध	कुल सदस्य संख्या	महिला सांसदों की संख्या	महिलाओं की हिस्सेदारी(%)
पहली	1952-1957	489	22	04.50
दूसरी	1957-1962	494	27	05.47
तीसरी	1962-1967	494	34	06.88
चौथी	1967-1971	520	31	05.96
पाँचवीं	1971-1977	543	22	04.05
छठी	1977-1980	543	19	03.50
सातवीं	1980-1985	543	28	05.16
आठवीं	1984-1985	543	44	08.10
नौवीं	1989-1991	543	28	05.16
दसवीं	1991-1996	543	36	06.63
ग्यारहवीं	1996-1998	543	40	07.37
बारहवीं	1998-1999	543	44	08.10
तेरहवीं	1999-2004	543	48	08.84
चौदहवीं	2004-2009	543	45	08.29
पंद्रहवीं	2009-2014	543	59	10.87
सोलहवीं	2014-2019	543	62	11.42
सत्रहवीं	2019-	543	78	14.36

आज राजनीतिक स्तर पर यद्यपि महिलाओं की संख्या कम है लेकिन एक तथ्य स्पष्ट है कि जितनी भी महिलायें राजनीति स्तर पर आयी हैं, उनका कार्य स्पष्ट, पारदर्शक है और वे संभवतया भ्रष्टाचार और भेदभाव रहित होकर अपने कार्यों को संपूर्ण करती हैं। भारत में उदारिकरण का दौर शुरू होने पर महिलाओं की स्थिति में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के फैलाव ने बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया जिनमें महिलाओं की संख्या भी उल्लेखनीय रही। नए प्रौद्योगिकी और शिक्षा के प्रसार ने महिलाओं के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाना शुरू किया उनकी सामाजिक स्थिति के साथ-साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई। आज सरकार और उद्योग पूरे जोर से वदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में लगे हैं लेकिन उदारिकरण व टांचागत समायोजन नीतियों के प्रभाव के अध्ययन के संदर्भ में हमें ध्यान रखना होगा कि भारत एक तीसरी दुनिया का देश है और काफी समय तक उपनिवेश रहा है।

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की मांग के पीछे सिर्फ यही सोच नहीं है कि उनकी मौजूदगी बढ़े बल्कि यह भी है कि राजनीतिक वर्गों में उनकी भागीदारी हो जिसमें अवसरवादिता, लैंगिक भेदभाव और अति-पुरुषवादी वर्ग हावी है। लेकिन प्रयंका चतुर्वेदी का कांग्रेस से शिव सेना जैसी घटनाएं एक दुखद वडंबना की ओर संकेत करती हैं। चतुर्वेदी का आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस इस लिए छोड़ी क्योंकि उनके खिलाफ अभद्र व्यवहार करने वालों के खिलाफ पार्टी ने कदम नहीं उठाए। लेकिन वे वैसे पार्टी में गईं जिसने कभी उन मूल्यों का महत्व नहीं दिया जिसकी बात प्रयंका चतुर्वेदी कर रही हैं। इसके बावजूद प्रयंका चतुर्वेदी महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रही हैं।

इस तरह की घटनाएं राजनीति के 'नई' सामान्य बातों की ओर इशारा करती हैं। इसमें बगैर किसी ग्लानी के नंगा करियरवाद हावी दिखता है। ऐसे में इस सोच की परीक्षण की जरूरत है। इस घटना से यह भी पता चलता है कि पार्टियों के लिए उनके सदस्य उनके कर्मचारी की तरह हैं जिनका काम है पार्टी के ब्रांड और छवि की मार्केटिंग करना। ऐसे लोगों को नेता मानना भी ठीक नहीं है। क्योंकि इनका न तो लोगों से संबंध होता है और न ही पार्टी की वचारधारा

से। ऐसे में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना सामान्य है क्योंकि इसे कॉरपोरेट संस्कृति का हिस्सा मान लिया गया है।

इसमें दिक्कत इस बात को लेकर भी है कि महिला अधिकारों की बात बहुत सी मत दायरे में होती है। एक तरफ तो भ्रष्ट राजनीति की स्वीकार्यता है तो दूसरी तरफ इसके खिलाफ संघर्ष का ढोंग भी है। असली नारीवाद तो यह है कि राजनीति में एक नए तरह की भाषा उपजे। इस वजह से ही लोकतांत्रिक सदनों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग उठ रही है। क्या महिला नेताओं का यह रवैया महिलाओं की मदद कर रहा है जिसमें उन्हें लगता है कि सफल होने के पुरुषों की तरह काम करना होगा?

राजनीतिक परिदृश्य में महिला प्रतिनिधियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण एक महत्वपूर्ण कदम है। पछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ 11 प्रतिशत महिलाएं सांसद बन पाई थीं। इसका मतलब यह हुआ कि 90 लाख महिलाओं पर एक महिला सांसद थी। आरक्षण की मांग और महत्वपूर्ण इस लिए भी हो जाती है क्योंकि पार्टियां महिलाओं को अपेक्षा के मुताबिक टिकट नहीं दे रही हैं। पार्टियां उन्हीं महिलाओं को टिकट दे रही हैं जो चर्चा कर रही हैं या जिनकी कोई राजनीतिक वरासत हो। अधिकांश पार्टियां अपनी उन महिला कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही हैं जो जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। अगर महिलाओं को टिकट मिलता भी है तो भी उनकी राह आसान नहीं है। पूरे चुनाव प्रक्रिया में व भ्रष्ट स्तर पर पुरुषों का वर्चस्व है।

महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे प्रतिनिधियों की जरूरत है जो अपनी मांगों को सही ढंग से उठा सकें और एक नई राजनीतिक संस्कृति के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। इन प्रतिनिधियों को कार्यबल में महिलाओं की घटती भागीदारी और मतदाता सूची में दो करोड़ महिलाओं के नहीं शामिल होने के मुद्दों को उठाना चाहिए। उन्हें महिलाओं के मुद्दों को वस्तुतः देने की कोशिश करनी चाहिए।

वास्तविक प्रतिनिधित्व का मतलब यह है कि अलग-अलग पृष्ठभूमि वाली महिलाओं को आवाज मिले और इससे राजनीति में नई संवेदना बक सके। यह जरूरी है कि लोकतंत्र और

नारीवाद के मूल्यों में विश्वास पैदा किया जाए न कि आक्रामक पुरुषवाद और हिंसक सोच का समर्थन किया जाए। नारीवाद के प्रति सर्फ बात करने से स्थिति नहीं सुधरेगी और न ही इससे रवैये में कोई बदलाव आएगा। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने से रवैये में बदलाव तो आएगा लेकिन डर इसी बात की है कि वही राजनीतिक संस्कृति नहीं मजबूत हो जिसमें राजनीति में बने रहने के लिए पुरुषों की तरह काम करने पर जोर होता है।

17वीं लोकसभा के वजयी उम्मीदवारों में महिलाओं की कुल संख्या 78 है। महिला सांसदों की अब तक की इस सर्वाधिक भागीदारी के साथ ही नई लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्य संख्या का 17 प्रतिशत हो जाएगी। महिला सांसदों की सबसे कम संख्या 9वीं लोकसभा में 28 थी। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा की 542 सीटों के लिए शुक्रवार को घोषित पूर्ण परिणाम के आधार पर सर्वाधिक 40 महिला उम्मीदवार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीती हैं। वहीं कांग्रेस के टिकट पर सर्फ पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने महिला उम्मीदवार के रूप में रायबरेली से जीत दर्ज की है।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कुल 8049 उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें 724 महिला उम्मीदवार थीं। मौजूदा लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 64 है। इनमें से 28 मौजूदा महिला सांसद चुनाव मैदान में थीं। चुनाव हारने वाली प्रमुख महिला उम्मीदवारों में कन्नौज से एसपी सांसद डंपल यादव, रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा शामिल हैं।

कांग्रेस ने सर्वाधिक, 54 और बीजेपी ने 53 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। अन्य राष्ट्रीय पार्टियों में, बीएसपी ने 24, तृणमूल कांग्रेस ने 23, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 10, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले चुनाव में सदन में केवल 5% महिलाएँ थीं। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 14.3% हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है जो क अब तक की सबसे अधिक संख्या है।
- हालाँकि वृहद् स्तर पर देखें तो यह संख्या अभी भी कम है क्योंकि यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आस-पास भी नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका में यह आँकड़ा 32% है, जबकि पड़ोसी देश बांग्लादेश में 21% है।
- वर्ष 1962 से अभी तक लगभग 600 महिलाएँ सांसद के रूप में चुनी गई हैं। 543 निर्वाचन क्षेत्रों में से लगभग आधे (48.4%) ने वर्ष 1962 के बाद किसी महिला को सांसद के रूप में नहीं चुना है।
- आज़ादी के बाद केवल 15वीं और 16वीं लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में बढ़ोतरी देखने को मली, जो इससे पहले 9% से कम रहती थी।

क्या हैं प्रमुख चुनौतियाँ

- महिलाओं को नीति निर्धारण में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने के पीछे निरक्षरता भी एक बड़ा कारण है। अपने अधिकारों को लेकर पर्याप्त समझ न होने के कारण महिलाओं को अपने मूल और राजनीतिक अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है।
- शिक्षा, संसाधनों/संपत्ति का स्वामित्व और रोज़मर्रा के काम में पक्षपाती दृष्टिकोण जैसे मामलों में होने वाली लैंगिक असमानताएँ महिला नेतृत्व के उभरने में बाधक बनती हैं।
- कार्य और परिवार का दायित्व: महिलाओं को राजनीति से दूर रखने में पुरुषों और महिलाओं के बीच घरेलू काम का असमान वितरण भी महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को परिवार में अधिक समय देना पड़ता है और घर तथा बच्चों की देखभाल का ज़िम्मा प्रायः महिलाओं को ही संभालना पड़ता है। बच्चों की आयु बढ़ने के साथ महिलाओं की ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती जाती हैं।

- राजनीति में रुच का अभाव: राजनीतिक नीति-निर्धारण में रुच न होना भी महिलाओं को राजनीति में आने से रोकता है। इसमें राजनीतिक दलों की अंदरूनी गति व धर्याँ और इजाफा करती हैं। राजनीतिक दलों के आंतरिक ढाँचे में कम अनुपात के कारण भी महिलाओं को अपने राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्रों की देखरेख के लये संसाधन और समर्थन जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
- इसके अलावा, महिलाओं पर थोपे गए सामाजिक और सांस्कृतिक दायित्व भी उन्हें राजनीति में आने से रोकते हैं।
आगे की राह
- भारत जैसे देश में मुख्यधारा की राजनीतिक गति व धर्याँ में महिलाओं को भागीदारी के समान अवसर मलने चाहिये।
- महिलाओं को उन अवांछित बाध्यताओं से बाहर आने की पहल स्वयं करनी होगी जिनमें समाज ने जकड़ा हुआ है, जैसे क महिलाओं को घर के भीतर रहकर काम करना चाहिये।
- राज्य, परिवारों तथा समुदायों के लये यह बेहद महत्त्वपूर्ण है क शिक्षा में लै गक अंतर को कम करना, लै गक आधार पर कये जाने वाले कार्यों का पुनर्निधारण करना तथा श्रम में लै गक भेदभाव को समाप्त करने जैसी महिलाओं की व शष्ट आवश्यकताओं का समु चत समाधान निकाला जाए।
- राज्य वधानसभाओं और संसदीय चुनावों में महिलाओं के लये न्यूनतम सहमत प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लये इसे अनिवार्य बनाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव (इसे गल फॉर्मूला कहा जाता है) को लागू करने की आवश्यकता है। जो दल ऐसा करने में असमर्थ रहेगा उसकी मान्यता समाप्त की जा सकेगी।
- वधायिका में महिलाओं के प्रतिनि धत्व का आधार न केवल आरक्षण होना चाहिये , बल्कि इसके पीछे पहुँच और अवसर तथा संसाधनों का सामान वतरण उपलब्ध कराने के लये लै गक समानता का माहौल भी होना चाहिये।

- निर्वाचन आयोग की अगुवाई में राजनीतिक दलों में महिला आरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये। हालाँकि इससे वधायिका में महिलाओं की संख्या तो सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, लेकिन जटिल असमानता को दूर करने में इससे मदद मिल सकती है।

जनता से चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर लोकसभा बनी होती है जिन्हें वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। संवधान में उल्लिखित सदन की अधिकतम क्षमता 552 सदस्यों की है जिनमें 530 सदस्य राज्यों का व 20 सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 सदस्यों को एंग्लो-भारतीय समुदायों के प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। ऐसा तब किया जाता है, जब राष्ट्रपति को लगता है कि उस समुदाय का सदन में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। स्वतंत्र भारत में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ। यहां लोकसभा कार्यकाल का एक संक्षिप्त इतिहास दिया गया है...

महिलाओं को राजनीति में कमजोर बताया जाने को लेकर दिए जाने वाले तर्क-

महिला कैंडिडेट के जीतने की उम्मीद बहुत कम होती है।

महिलाएं अपने घरेलू काम के बीच राजनीति में एक पुरुष के मुकाबले समय नहीं दे पाती हैं।

महिलाओं को राजनीतिक समझ कम होती है इस लिए अगर वे जीतकर भी आती हैं तो महिला

वभाग, शशु वभाग जैसे क्षेत्र तक सीमित रखा जाता है। हालांकि आज इसके अपवाद भी देखने को मिल रहे हैं, जिसका एक बेहतर उदाहरण डेफेंस मनिस्टर निर्मला सीतारमण हैं।

1. जहां तक बात है महिला कैंडिडेट के जीतने की तो अंतिम तीन लोकसभा चुनाव में महिला कैंडिडेट के जीतने का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है। 2014 के चुनाव में महिला कैंडिडेट का सक्सेस रेट 9 प्रतिशत था जबकि पुरुषों का 6 प्रतिशत।

16वें लोकसभा चुनाव में जीतकर आई महिला कैंडिडेट की संख्या सबसे ज्यादा थी। बावजूद आज भी कई राजनीति पार्टियां महिलाओं को तवज्जो नहीं देती हैं, इसका असर होता है कि बहुत कम ही महिलाएं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ पाती हैं।

राजनीति में नेपोटिज़्म और महिलाएं

कई महिलाएं चुनाव जीतकर तो आती हैं लेकिन उन्हें कहां, क्या और कैसे फैसले लेने हैं, इस सबका निर्धारण उनके घर के पुरुष ही करते हैं। हालांकि यह स्थिति पंचायत चुनावों में ज्यादा देखने को मिलती है। वधानसभा और लोकसभा चुनाव के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है।

राजनीति में नेपोटिज़्म पर बात करते हुए इजया यादव कहती हैं कि मुखिया के स्तर पर घर के पुरुष हावी ज़रूर होते हैं, जिसका बड़ा कारण ग्रामीण परिवेश और उस महिला की शिक्षा में कमी होती है लेकिन वधानसभा के स्तर पर ऐसा नहीं है।

अगर एक पुरुष भी **MLA** है तो परिवार के सहयोग के बिना वह काम नहीं कर पाएगा। राजनीति एक इंसान की बस की बात नहीं है, परिवार का इंगेजमेंट होता ही है। वह आगे बताती हैं, "मैं ही **MLA** हूँ, मैं सबकुछ खुद कर तो लेती हूँ लेकिन मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, खासकर सक्चोरिटी के मामले में।

वहीं अमृता बताती हैं कि मुखिया लेवल पर नेपोटिज़्म की समस्या है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं ज्यादा निकलती नहीं हैं लेकिन आपको एक निश्चित प्रतिशत में महिला कैंडिडेट को लाना ही होता है। इस तरह वे पुरुष जो अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, वे अपनी पत्नियों को खड़ा करना चाहते हैं। इस परिस्थिति में उनको मजबूरी भी है महिला को खड़ा करना।

वधानसभा, लोकसभा स्तर पर नेपोटिज़्म पर बात करते हुए अमृता कहती हैं, "इस स्तर पर नेपोटिज़्म की स्थिति कम होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। कोई कद्दावर नेता जो किसी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाता है, तो अपनी पत्नी को खड़ा करता है। हालांकि यह स्थिति बेहद कम देखने को मिलती है।"

इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में राजनीति में महिलाओं का योगदान बढ़ता जा रहा है। 2019 के आम चुनाव में उनकी स्थिति काफी अच्छी हुई है। आज के समय में महिलाएं भी राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं।

संदर्भ

1. संजय गौड, “आधुनिक महिलायें और सामज उत्पीड़न अत्याचार एवं अ धकार”
2. महात्मा गाँधी : यंग इं डया
3. भारत का सं वधान
4. रू च श्री वास्तव , “महिला सशक्तिकरण के लए समाज के प्रत्येक वर्ग का मान सक सशक्तिकरण”
5. संजय गौड, “महिलाओं का राजनैतिक परिदृश्य
6. क्रौनिकल बुक्स समूह: भारत की सामाजिक समस्याएँ,
7. <https://loksabha.nic.in/Members/>